## Form No. III
## फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ............................ मुकाम ............................ बयाना

खेमसिंह आदि ............................ बनाम ............................ आशा वगै............................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट .................. नं. .................. सन् 89/25

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26/05/25 | प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम मालीपुरा तहसील बयाना को मदाखलत मजाहमत वेजा नहीं करें। शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। दीगर व्यक्ति को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।<br>हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।<br>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.08.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम, मालीपुरा तहसील बयाना में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।<br>**नोट— यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।**<br>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.08.2025 को पेश हो। | |

18/8/25

पीठासीन अधिकारी ......EL अवकाश में......है।

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/11/25 को पेश है।

रीडर
ओ.एस.डी.एम.

03/9/25 प्रकरण आज क०सं० प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तलब किया गया। क०सं० प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण संख्या 1,3,4,6 लगायत 8 न्यायालय द्वारा उपस्थित जाहिर किया की प्रकरण में उभयपक्ष में राजीनामा हो चुका है, प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है, प्रकरण इजी स्तर पर खारिज किया जावे। क०सं० प्रार्थीगण ने प्रार्थी नं० 2 व 5 की ओर से प्रकरण खारिज किये जाने बाबत सहमति दी। उक्त प्रार्थीगण की पहचान क०सं० छत्तीराम पोसवाल द्वारा की गई।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रार्थी नं० 2 व 5 की ओर से क०सं० प्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण इजी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खेमसिंह
प्रेमसिंह
रामस्वरूप
मोहनसिंह
रामभरोसे
बृजेन्द्रसिंह
identified by me
देवानन्द

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज